न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बाप, फलोदी

पीठासीन अधिकारी :– सुखाराम पिण्डेल (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रकरण संख्या :– 208/2023 जी.सी.एम.एस. नम्बर :– 2023/34

दायर दिनांक :– 21.08.2023 निर्णय दिनांक :– 22.12.2024

1. हनुमान पुत्र जयराम जाति मेगवाल निवासी केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. अनोपा पुत्र जयराम जाति मेगवाल निवासी केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी
3. कानाराम पुत्र जयराम जाति मेगवाल निवासी केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–प्रार्थी

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली तहसील घंटियाली जिला फलोदी
2. मूलाराम पुत्र बुद्वाराम जाति मेगवाल निवासी केलनसर तहसील घंटियाली जिला फलोदी

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :–1. श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी अधिवक्ता प्रार्थीगण

2. पैरोकार सरकार तहसीलदार बाप

–:: निर्णय ::–

प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का इस आशय से पेश किया है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी अधिकारों की भूमि खसरा नम्बर 488/1 रकबा 8.1423 हैक्टेयर तथा अप्रार्थी संख्या 2 की खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खसरा नम्बर 488 रकबा 8.1342 मौजा केलनसर पटवार क्षेत्र केलनसर तहसील बाप में स्थित है। जमाबंदी व नक्शा संलग्न पेश है। उक्त वादग्रस्त भूमि मूल खसरा नम्बर 488 कुल रकबा 100–11 बीघा प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से राजस्व रेकर्ड में संयुक्त खातेदारी अधिकारों की दर्ज थी। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 2 ने उक्त भूमि में आपसी सहमति का बंटवाड़ा सक्षम अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर करवा लिया था जिसके आधार पर नामान्तरकरण संख्या 793 मौजा केलनसर भरा जाकर स्वीकृत हुआ। उक्त बंटवाड़ा के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार बंटवाड़ा की पुश्त पर नजरी नक्शा दिर्शित किया हुआ जिसमें दक्षिण दिशा में प्रार्थीगण की भूमि तथा उतर दिशा में अप्रार्थी संख्या 2 की भूमि रखी गई थी और इसी अनुसार ही मौके पर आज दिन तक कब्जा व काश्त है। लेकिन वर्तमान में पटवारी हल्का द्वारा सेग्रीकेशन योजना के तहत प्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण संख्या 2 के कब्जा व काश्त एवं बंटवाड़ा की पुश्त पर दर्शित नजरी नक्शा से बिल्कुल विपरित तरमीम भू–नक्शा में कर दी जबकि बंटवाड़ा की पुश्त पर दर्शित नजरी नक्शा अनुसार ही मौके पर कब्जा व काश्त आज दिन तक चला आ रहा है। इसिलये ग्राम केलनसर पटवार हल्का केलनसर तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 488 रकबा 8.1423 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 488 रकबा 8.1342 हैक्टेयर

की वर्तमान में बंटवाड़ा के विपरित की गई तरमीम को निरस्त करवा कर आपसी सहमति के बंटवाड़ा की पुश्त पर दर्शित नजरी नक्शा अनुसार तरमीम करवाने के अधिकारी है जिसका यह प्रार्थना पत्र पेश है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली जाकर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आये लिहाजा इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 01 तहसीलदार घंटियाली ने जवाब व मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब में बताया कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 2 एवं प्रार्थीगण के नाम दर्ज उक्त खसरों में नियमानुसार तरमीम शुद्व की जाती है तो किसी प्रकार का कोई उजर एतराज नहीं है और न ही इससे किसी प्रकार का कोई राजहित प्रभावित होता है।

बहस अधिवक्ता उभय पक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सुनी गयी। दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम केलनसर पटवार हल्का केलनसर तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 488/1 रकबा 8.1423 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 488 रकबा 8.1342 हैक्टेयर भूमि की तरमीम खातेदारों के कब्जा काश्त के भिन्न है। पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन करने से यह स्पष्ट होता है कि आराजी खसरान् की तरमीम ऑनलाईन नक्शा में कब्जा काश्त के विपरित की गई है जिसे कब्जा काश्त अनुसार दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दस्तावेजों से साबित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर उपरोक्त वर्णित खसरान् की तरमीम को निरस्त किया जाकर पटवारी हल्का केलनसर की मौका रिपोर्ट दिनांक 05.12.2024 के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार किया जाना उचित समझते है।

क्रियात्मक आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम केलनसर पटवार हल्का केलनसर तहसील घंटियाली के खसरा नम्बर 488/1 रकबा 8.1423 हैक्टेयर तथा खसरा नम्बर 488 रकबा 8.1342 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान ऑनलाईन तरमीम को निरस्त की जाकर पटवारी हल्का केलनसर की मौका रिपोर्ट दिनांक 05.12.2024 के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश तहसीलदार घंटियाली को दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुखाराम पिण्डेल, R.A.S.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बाप (फलोदी)